तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
27/2/26	**खण्ड पीठ** **श्री हेमन्त कुमार गेरा, सदस्य** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** उपस्थित :– श्री गौरव दवे, अभिभाषक अपीलार्थी श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पोडेंट **निर्णय** 1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैंप धौलपुर द्वारा अपील संख्या 217/05 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–5–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2– अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट वादी संख्या 1 से 4 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी धौलपुर के समक्ष विवादित आराजी बाबत्प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी धौलपुर ने उभय पक्ष को सुन कर निर्णय दिनांक 16–2–04 से प्राथमिक डिक्री तथा निर्णय दिनांक 19–4–04 से विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी। जिससे असन्तुष्ट हो कर अपीलांट् ने प्रथम अपील, न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैंप धौलपुर के यहां प्रस्तुत की जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैंप धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 17–5–06 के द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 3– उभय पक्ष की बहस अपील के ग्राहयता के प्रश्न पर सुनी गई। 4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। अपीलांट्स नाबालिग के विरूद्ध प्राकृतिक संरक्षक नियुक्त किये बिना ही दावा निर्णित किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सीपीसी के आदेश 32 नियम 1, 2, 3 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है। अपीलांट के वकालतनामें पर माता शकुन के हस्ताक्षर को आधार बनाकर अपील खारिज की गई है जबकि जब तक माता को संरक्षक बनाया या नियुक्त नहीं किया जावे तब तक उनके हस्ताक्षरों की कोई अहमियत नहीं रहती है। नाबालिग को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किये गये है। अंतिम डिक्री पारित करते समय विभाजन के नियम 18 से 20 की पालना नहीं की गई। विभाजन में अच्छी अच्छी भूमि रेस्पोड्ेटस को दी गई तथा एक तरफ की खराब भूमि अपीलांट्स नाबालिग को दी गई। हर खसरा नंबर में से विभाजन किया जाना चाहिये जबकि खसरा नंबर 35 का पूरा रकबा एक ही पक्षकार को दे दिया गया। विचारण न्यायालय ने वादमित्र नियुक्त नहीं किया तथा विचारण न्यायालय ने कायम की गई तनकीयों का तनकीवाईज निर्णय पारित नहीं किया। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड करना चाहिये था किंतु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सरसरी तौर पर अपीलांट की अपील निरस्त कर दी। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को उसके समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन, परिशीलन एवं विवेचन विश्लेषण करते हुये विधि अनुसार निष्कर्ष दिया जाना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे। 5— विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि विवादित आराजी का बंटवारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 25—7—77 के अनुसार किये जाने में दोनों पक्षकार सहमत थे तथा दोनों पक्षकारों के अभिभाषकगण के हस्ताक्षर किये हुये है। इसके बाद प्राथमिक डिक्री पारित कर कुरेजात रिर्पोट प्राप्त की गई। अपीलांट्से ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की। ऐसी स्थिति में विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई जिसका समर्थन अपीलीय न्यायालय ने भी किया है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील खारिज की जावे। 6— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस अपील के ग्राहयता के प्रश्न पर सुनी एवं बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली के साथ उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। 7— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट वादी संख्या 1 से 4 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी धौलपुर के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी धौलपुर ने उभय पक्ष को सुन कर निर्णय दिनांक 16—2—04 से प्राथमिक डिक्री तथा निर्णय दिनांक 19—4—04 से विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी। जिससे असन्तुष्ट हो कर अपीलांट् ने प्रथम अपील, न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैंप धौलपुर के यहां प्रस्तुत की जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैंप धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 17—5—06 के द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों की सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित की गई है तथा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई। अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12—3—04 व 26—3—04 के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति हेतु अपीलांट के अधिवक्ता ने समय चाहा है किंतु आदेशिका दिनांक 6—4—04 के अनुसार अभिभाषक प्रतिवादी कुर्रेजात पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं करना चाहते, का अंकन है। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 19—4—04 से अंतिम डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व प्रतिवादीगण को कुर्रेजात पर आपत्ति हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। कुर्रेजात रिपोर्ट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर होने से अपीलीय न्यायालय ने नियम 18 से 20 की पालना नहीं होने के प्रतिवादीगण के कथन को अस्वीकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का यह तर्क कि अपीलांट्स नाबालिग के विरूद्ध प्राकृतिक संरक्षक नियुक्त किये बिना ही दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सीपीसी के आदेश 32 नियम 1, 2, 3 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है, मानने योग्य नहीं है। क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर यह निष्कर्ष अंकित किया है कि विचारण न्यायालय ने नाबालिगान के प्राकृतिक संरक्षक उनकी माता की सरपरिस्ती में दावा निर्णित किया है क्योंकि वकालतनामा में स्पष्ट अंकित है कि नवीन, हिमांशु पुत्रगण व ज्योति व प्रियंका पुत्रियां स्व0 मंगलसिंह नाबालिगान सरपरस्ती माता श्रीमति शकुन है तथा वकालतनामा पर प्रतिवादीगण की माता शकुन के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक संरक्षक द्वारा नाबालिगान के हितों की कार्यवाहीं प्रकरण में किये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाहीं को अपीलीय न्यायालय ने दूषित नहीं माना है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में दो तनकीयां कायम की गई है किंतु पक्षकारों द्वारा विभाजन की सहमति देने की स्थिति में तनकीवाईज निर्णय पारित किया जाना आवश्यक नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् पारित की है जिसका समर्थन अपीलीय न्यायालय द्वारा भी किया गया है। हमारी सुविचारित राय में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण हमारे समक्ष दौराने बहस ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं कर पाये जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील ग्राहयता के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। 8— परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील ग्राहयता के स्तर पर एतद्द्वारा खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मदनलाल नेहरा) (हेमन्त कुमार गेरा) सदस्य अध्यक्ष	